नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत भगवानपुर सीमान्तर्गत उ.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1916 कि धारा 298 क, 293, 294,व 296(उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत) की उपधारा –2 खण्ड (ज)(च) के अंर्तगत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत भगवानपुरद्वारा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा–294 के तहत विभिन्न व्यवसायों पर लाइसेन्स शुल्क आरोपित करने के उद्वेष्य से शासनादेश संख्या 399/वी–95–204(जनरल)/94 दिनांक 20.10.1994 के अनुसार विभिन्न व्यवसायों हेतु 'व्यवसायिक लाइसेन्स एवं शुल्क वसूली उपविधि 2014–15 बनायी गई है' जो उपविधि नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 301(1) के अन्तर्गत सरकारी गजट मे प्रकाशित होने के उपरान्त लागू होगी। परन्तु इससे पूर्व इस उपविधि को जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशन कराया जाना है। समाचार पत्र मे प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर जनसामान्य को लिखित मे आपत्ति/सुझाव/शिकायत देने होगें। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नही किया जायेगा तथा जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पडने वाला हो,उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु समाचार पत्र मे प्रकाशित की जा रही है।

'व्यवसायिक लाइसेन्स एवं शुल्क वसूली उपविधि – 2015–16'

संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ–

क– यह उपविधि नगर पचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार'व्यवसायिक लाइसेन्स एवं शुल्क वसूली उपविधि–2015–16' कहलायेगी।

ख – यह उपविधि नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार की सीमा में प्रवृत्त होगी।

ग – यह उपविधि नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वारद्वारा प्रख्यापित तथा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

1. परिभाषाऐं –

किसी विषय या प्रसंग से कोई बाधा प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–

(क) " नगर पंचायत " का तात्पर्य नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार से है।
(ख) " सीमा " का तात्पर्य नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार की सीमाओं से है।
(ग) " अधिशासी अधिकारी " का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार से है।
(घ) " अध्यक्ष " का तात्पर्य नगर पचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक से है।
(ड) " बोर्ड " का तात्पर्य नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार के निर्वाचित अध्यक्ष से है।
(च) "अधिनियम " का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखंण्ड में यथावृत्त) संशोधन एवं उपान्तरण आदेश–2002 से है।
(छ) " लाइसेन्स " का तात्पर्य नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वारकी सीमान्तर्गत किये जाने वाले विभिन्न व्यवसायों के लाइसेन्स दिये जाने एवं उनसे निर्धारित शुल्क वसूली से हैं।
(ज) " अवधि " का तात्पर्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष अथवा (1 अप्रैल से 31 मार्च) 1 वर्ष के लिए दिये जाने वाले व्यवसायिक लाइसेन्स से हैं।

अनुसूची

क्र.स.	मद का नाम	लाइसेन्स शुल्क की प्रस्तावित दर वार्षिक
1	2	3
1	होटल लार्जिंग/गैस्ट हाउस/आश्रम 10 शैया तक	500.00
2	होटल लार्जिंग/गैस्ट हाउस/आश्रम 11 से 20 शैया तक	1000.00
3	तीन सितारा होटल अथवा बिना स्टार 20 शैया से 30 शैया तक	3000.00
4	उपरोक्त 31 शैया से 40 शैया तक	4000.00
5	उपरोक्त 41 शैया से 50 शैया तक	5000.00
6	उपरोक्त 50 से ऊपर	6000.00
7	तीन सितारा होटल	8000.00
8	पॉच सितारा होटल	10000.00

9	रेस्टोरेन्ट उच्च श्रेणी	2000.00
10	रेस्टोरेन्ट मध्यम श्रेणी	1000.00
11	रेस्टोरेन्ट सामान्य श्रेणी	500.00
	नर्सिंग होम	
12	नर्सिंग होम (20 बैड तक)	1000.00
13	नर्सिंग होम (20 बैड से ऊपर)	2000.00
14	प्रसूति गृह (20 बैड तक)	1000.00
15	प्रसूति गृह (20 बैड से ऊपर)	2000.00
16	प्राईवेट अस्पताल	3000.00
17	पैथोलॉजी सैन्टर	1000.00
18	एक्सरें क्लीनिक	1500.00
19	डेन्टल क्लीनिक	1000.00
20	प्राईवेट क्लीनिक	1500.00
	परिवहन	
21	घोडा तांगा	50.00
22	रिक्शा किराये पर	25.00
23	रिक्शा (निजी चालक)	25.00
24	ठेला / ठेली	25.00
25	हाथ ठेली	25.00
26	बैलगाडी / भैंसा गाडी / किराये पर चलना	25.00
27	ट्रैक्टर ट्राली / छोटा हाथी	100.00
28	अन्य चार पहिये के वाहन(व्यवसायिक प्रयोग हेतु सभी वाहन)	200.00
29	मोटर गैराज	300.00
30	स्कूटर गैराज / रिपेयरिंग शॉप	250.00
31	मोटर वाहन एजेन्सी (सैल्स / सर्विस)	2000.00
32	स्कूटर एजेन्सी (दो पहिया / तीन पहिया)	1500.00
33	साईकिल की दुकान	200.00
	पैट्रोलियम	
34	पैट्रोल / डीजल पम्प थोक विक्रेता कम्पनी	2000.00
35	पैट्रोल / डीजल पम्प फुटकर विक्रेता	1000.00
36	जनरेटर डीजल / पैट्रोल	500.00
37	दुकान अन्य पैट्रोलियम उत्पादन	500.00
	अन्य व्यवसाय	
38	धुलाई गृह (लान्ड्री)	100.00
39	ड्राई क्लीनर	100.00
40	फाईनैन्स कम्पनी,चिट फन्ड	500.00
41	इन्सोरेन्स कम्पनी,प्रति शाखा	500.00
42	फाउन्डिंग इंजीनियरिंग इन्डस्टियल	1000.00
43	आईस फैक्ट्री तथा कोल्ड ड्रिंक्स सोडा ऐस्टेड वाटर फैक्ट्री	1000.00
44	बिल्डर्स(रजिस्टर्ड)	2000.00
45	आटा चक्की	250.00
46	गूदड गोदाम	500.00
47	कंकड तथा सुखी की भट्टी	500.00
48	चूना	500.00
49	ईंट का भट्टा	5000.00
50	साबुन की फैक्ट्री	2000.00
51	लोहा व्यापारी,टिम्बर,सीमेंट,ईटा,बालू(थोक मोरंग,मारवल,टाईल्स,सेनेटरी,हार्डवेयर)	2000.00
52	फुटकर बिजली के सामान कि विक्रेता	500.00
53	कपडा थोक विक्रेता	1000.00
	कपडा फूटकर विकेता	500.00
54	कैटरिंग	500.00
55	बेकरी (भट्ठी)	500.00

56	बेकरी (पॉवर)	1000.00
57	हेयर कटिंग सैलून	100.00
58	ब्युटी पार्लर	250.00
59	कुकिंग गैस एजेन्सी	1000.00
60	जनरल मर्चेन्ट थोक	500.00
61	टेलरिंग हाउस(5 से अधिक कर्मचारी)	200.00
62	टेलरिंग हाउस(5 कर्मचारी तक)	100.00
63	कोयला (थोक विक्रेता)	200.00
64	कोयला (फुटकर विक्रेता)	100.00
65	बडी नावें,मोटर वोट	1000.00
66	छोटी नावें,मोटर वोट	500.00
67	पेन्ट की दुकान	500.00
68	ज्वैलर्स (बडे) 5 लाख से ऊपर टर्नओवर	1000.00
69	ज्वैल्र्स (छोटे) 5 लाख तक टर्नओवर	500.00
70	विज्ञापन एजेन्सी	1000.00
71	डेयरी (दूध,दही,पनीर एवं दूध से बने अन्य पदार्थ)	500.00
72	भूसा (थोक विक्रेता)	500.00
73	भूसा (फुटकर विक्रेता)	250.00
74	आडियो / वीडियो लाईब्रेरी	500.00
75	मोबाईल विक्रेता / विभिन्न मोबाईल कम्पनीयों के रिचार्ज एवं मरम्मत की दुकान	500.00
76	केबिल टी0वी0	1000.00
77	आर्किटेक्ट,कम्सलटेन्ट,विधि चार्टेड एकाउन्टेन्ट,फास्ट एकाउन्टेन्ट	2000.00
78	अनाज,तिलहन,चीनी,गुड,खण्डसारी (थोक विक्रेता)	500.00
79	अनाज,तिलहन,चीनी,गुड,खण्डसारी (फुटकर विक्रेता)	300.00
80	आईस फैक्ट्री	500.00
81	टैन्ट हाउस	1000.00
82	राफ्टिंग	1000.00
83	जेम्स एण्ड हैण्डीक्राफ्ट इम्पोरियम (बडी दुकान)	1000.00
84	जेम्स एण्ड हैण्डीक्राफ्ट इम्पोरियम (छोटी दुकान)	500.00
85	रेडीमेट गारमेन्टस (बडी दुकान)	1000.00
86	रेडीमेट गारमेन्टस (छोटी दुकान)	500.00
87	टूर एण्ड ट्रैवल्स	2000.00
88	योग एवं ध्यान केन्द्र	1000.00
89	फोटोग्राफर	500.00
90	टूरिस्ट गाईड	500.00
	दुकान	
91	पान की दुकान	100.00
92	चाय की दुकान	200.00
93	जनरल मर्चेन्ट की दुकान	500.00
94	किताबों की थोक की दुकान	500.00
95	किताबों की फुटकर दुकान	200.00
96	न्यूज पेपर	200.00
97	लकडी के टाल की दुकान (थोक विक्रेता)	1000.00
98	लकडी के टाल की दुकान (फुटकर विक्रेता)	500.00
99	टिम्बर मर्चेन्ट	3000.00
100	रेडियो / मैकेनिक / टी0वी0 मरम्मत	200.00
101	टी0वी0 शॉप / इलेक्ट्रोनिक वस्तुएँ	500.00
102	फर्टिलाईजर शॉप	500.00
103	मिठाई कि दुकान	500.00
104	चाट / बताशे कि दुकान	200.00
105	ड्राई फ्रुट विक्रेता(थोक विक्रेता)	500.00
106	ड्राई फ्रुट विक्रेता(फुटकर विक्रेता)	250.00
107	गैस फिलिंग प्लांट	2000.00

108	सब्जी की दुकान और फल की दुकान	300.00
109	मसाले थोक विक्रेता	500.00
110	फर्नीचर की दुकान(शोरूम)	1000.00
111	फर्नीचर विक्रेता	500.00
112	क्रॉकरी विक्रेता	300.00
113	चूडी विक्रेता	200.00
114	चप्पल जुतों के थोक विकेता	500.00
115	चप्पल जुतो के फूटकर विकेता	250.00
116	देशी शराब की दुकान पर	5000.00
117	विदेशी शराब की दुकान पर	8000.00
118	बार/बियर की दुकान	5000.00
119	भैंसा मॉस की दुकान	300.00
120	बकरा मॉस की दुकान	400.00
121	अन्य मॉस की दुकान	400.00
	पशुपालन	
122	प्रति पशु	20.00
123	कान्जी हाउस में बन्द जानवरों में जुर्माना प्रति जानवर	300.00
124	प्रतिदिन खुराक छोटे जानवरों बकरी आदि	100.00
125	प्रतिदिन खुराक बडे जानवरों गाय,भैंस,घोडा आदि	200.00

3- लाइसेन्स–आवेदक द्वारा लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ दो फोटो (पासपोर्ट साइज) खींची होनी चाहिए तथा आवेदन में व्यवसाय का मद विवरण भी देना होगा।

4-- प्राप्त आवेदन पत्र पर नगर पंचायत द्वारा समुचित विचारोपरान्त 15 दिवस के अन्दर शुल्क लेकर लाइसेन्स दिये जाने का निर्णय लिया जायेगा,जिसकी सूचना आवेदक को विभाग द्वारा दे दी जाएगी।

5 सूची में वर्णित व्यवसायिक लाइसेन्स 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक की अवधि के बीच व्यवसायों द्वारा प्रत्येक दशा में बनवाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक मद के लाइसेन्स की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च(एक वित्तीय वर्ष) तक वैद्य होगी, नियत अवधि तक अगर कोई व्यवसायी अपना लाईसेन्स नही बनवाता है तो उसे विलम्ब शुल्क के रूप मे 20/–रू0 प्रति माह की दर से लाईसेन्स शुल्क के अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

6– लाइसेन्स जारी करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भगवानपुर में निहित होगा।

7–जाचकर्ता को जाच के समय व्यवसाय के सम्बन्ध मे सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व स्वंय व्यवसायी का होगा।

8–व्यवसाय से सम्बन्धित व्यवसायी स्वयं अथवा अपनी एजेन्सी. अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जांच का कार्य सम्पादित करा सकता है,जो नगर पंचायत भगवानपुर के अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वंम या अधिशासी अधिकारी द्वारा नियत कर्मी द्वारा किया जाना मान्य होगा।

9–लाइसेन्सधारक अपना व्यवसाय बदलता है तो उसकी सूचना अनिवार्य रुप से एक माह के अन्दर नगर पंचायत भगवानपुर में अपने पुराने लाइसेन्स विवरण के साथ लिखित रुप में उपलब्ध करा देगा।

10- उक्त सूची मे वर्णित लाइसेन्सों के नियम का उल्लंघन होने की दशा में लाइसेन्स अधिकारी जनहित में किसी भी समय लाइसेन्स निरस्त कर सकता है।लाइसेन्स अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई का अधिकार अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी में निहित होगा।

शास्ति

उपरोक्त उपनियम का उल्लंघन उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम,1916. (उत्तराखण्ड मे यथा प्रवृत्त) की धारा 29 की उपधारा (1) के अन्तर्गत दण्डनीय होगा जो मु0 1,000.00 रुपया तक ही हो सकता है। उपनियम का उल्लंघन निरन्तर जारी रहने पर अग्रेतर जुर्माना लिया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें व्यवसायी द्वारा निरन्तर अपराध करते रहना सिद्ध हो जाता है तो रु0 25.00 प्रतिदिन तक हो सकता है।यह अधिकार,नगर पचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार में अन्तिम रुप से निहित होगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत भगवानपुर
जिला हरिद्वार।

उपजिलाधिकारी
भगवानपुर
/प्रभारी अधिकारी
नगर पंचायत भगवानपुर
जिला हरिद्वार।

कार्यालय नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार।

पत्रांक 43 (ix) / कर निर्धारण–उपनियम / 2015-16 दिनांक 11/7/15

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. आयुक्त गढवाल मण्डल, पौडी, जिला पौड़ी (उत्तराखण्ड)
3. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. जिलाधिकारी हरिद्वार।
5. उपजिलाधिकारी भगवानपुर / हरिद्वार / रुड़की / लक्सर।
6. जिला सूचना अधिकारी हरिद्वार।
7. समस्त स्थानीय निकाय, जनपद हरिद्वार।
8. संवाददाता, "द्विज टाईम्स" .... को इस आशय के साथ कि उपरोक्त सूचना का प्रकाशन अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में छोटे किन्तु पठनीय शब्दों में शासकीय दरों पर कराकर समाचार पत्र की पांच प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु पंचायत कार्यालय को उपलब्ध करायें।
9. एनआईसी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उत्तराखण्ड शासन की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के अनुरोध सहित प्रेषित।
10. एनआईसी, हरिद्वार को जनपद हरिद्वार की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के अनुरोध सहित प्रेषित।
11. [illegible] (हरिद्वार) के नोटिस बोर्ड हेतु।

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत भगवानपुर
जिला हरिद्वार।